



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1943 (श०)
(सं० पटना 663) पटना, मंगलवार, 3 अगस्त 2021

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

3 अगस्त 2021

एस०ओ० 126 दिनांक 3 अगस्त 2021—वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 05/2021-राज्य कर (दर), दिनांक 14 जून, 2021, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 518 दिनांक 14 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ 2 पर, सारणी में, क्र.सं. 8 के समक्ष, कॉलम (2) में, “3804 94” के स्थान पर “3808 94” पढ़ा जाए।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13)--1347)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

3 अगस्त 2021

एस०ओ० 126 दिनांक 3 अगस्त 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13)--1347)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 3rd August 2021

S.O. 126 dated the 3rd August 2021--In the notification of the Commercial Taxes Department No. 05/2021-State Tax (Rate), dated the 14th June, 2021, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 518 dated the 14th June, 2021, on page 3, in the Table, against Sl. No. 8, in column (2), for “3804 94”, read “3808 94”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13)--1347)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 663-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>